

पुस्तक

श्री गणेश सुन्दर अग्निहोत्री,
संस्कृत सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 तमसाच केन्द्र
प्राति विहार, नई दिल्ली।

दिनांक 071 अनुदान

तारीख: दिनांक-11 अगस्त, 2000

विषय- महाविद्यालयों में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित प्रावधानों के अंगीकार करने के लिए प्रस्तावित प्रावधानों पर विचार करने के लिए।

सहायक,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र करने का निदेश हुआ है कि महाविद्यालयों में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित प्रावधानों के अंगीकार करने के लिए प्रस्तावित प्रावधानों पर विचार करने के लिए।

- 110 विद्यालयों की समीक्षित तालिका का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 120 विद्यालयों की प्रमुख समीक्षा में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 130 विद्यालयों में कम से कम एक प्रतिभा स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित गुणक से अधिक गुणक नहीं लिया जायेगा।
- 140 तैयार द्वारा राज्य सरकार के अंगीकार अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रस्तावित शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालयों की समीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षाओं से उत्तम केन्द्रीय परिषदों की समीक्षा प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः प्राप्त हो जायेगा।
- 150 तैयार के लिए एवं शिक्षकों के कर्तव्यों को राजकीय तलायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वर्गों तथा अन्य वर्गों से कम वेतनामान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 160 कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेंगी और उन्हें तलायता प्राप्त प्रशासनिक उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 170 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैयार उनका पालन करनी।
- 180 विद्यालयों का रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र/विषयों में रखा जायेगा।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्राधिकारों के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

121 उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुनः अनापत्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय,

। इयास सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव।

पृष्ठ- 2287/112/15-7-99 तदु दिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. भारतीय शैक्षणिक शिक्षा निदेशक, केजवादा मंडल केजवादा।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखा।
4. निरीक्षक, उत्तर भारतीय विद्यालय, उदुपु, लखनऊ।
5. मुख्य, महर्षि विद्या मंदिर, गोरखा।

आपत से,

[Signature]

। इयास सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव।